


## आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर घोषणा आशय की जाती है कि राजस्व ग्राम ईस्माइलपुर स्थित भूमि खाता संख्या 90 के खसरा नं० 165/85 रकबा 0.9300 हैक्टर में वादी का नाम लीलूसिंह पुत्र हनुमानसिंह के स्थान पर लीलाधर पुत्र हनुमान दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार चिड़ावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैंशल शुमार नम्बर से कम्प्लीट कर दाखिल दफ्तर हो।



  
(डॉ० नरेश सोनी, चिड़ावा)  
उपस्थान अधिकारी चिड़ावा